मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का किया गया गठन

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम-2018 के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसके लिये गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। साथ ही इस प्राधिकरण में इनके अलावा पदेन एवं गैर सरकारी सदस्य भी होंगे।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि शीघ्र ही मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि बैठक में मानसिक रोगियों के अधिकारों संबंधी नियमावली भी निर्धारित की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-state-mental-health-authority-has-been-constituted-for-the-care-of-mental-patients